उत्तर प्रदेश शासन

संस्थागत वित्त कर एवं निबंधन अनुभाग-1

सं0-81/2015/सं0वि0क0नि0-1-1624/11-2015-1035(54)/2009

लखनऊ: दिनांक: 27 अगस्त, 2015

विज्ञप्ति/प्रोन्नति

निर्देश याचिका सं0-398/2009 हीरा लाल बनाम उ0प्र0 राज्य सरकार व अन्य में मा0 अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनॉक 18-12-2013 के अनुपालन में श्री हीरा लाल, डिप्टी कमिश्नर को, उनके कनिष्ठ अधिकारी श्री विष्णु प्रताप सिंह की डिप्टी कमिश्नर के पद पर पदोन्नति की तिथि 31-12-2008 से, डिप्टी कमिश्नर के पद पर वेतनमान रू0 15600-39100 ग्रेड पे 6600/- में एतद्द्वारा नोशनल पदोन्नति प्रदान की जाती है ।

2- श्री हीरा लाल को उक्त नोशनल पदोन्नति एवं डिप्टी कमिश्नर के पद पर वास्तविक पदोन्नति के मध्य की अवधि हेतु नो वर्क नो पे के सिद्धान्त के आधार पर कोई वेतन एरियर देय नहीं होगा।

श्री राज्यपाल की आज्ञा से,

हरेन्द्र वीर सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-81/2015/सं0वि0क0नि0-1-1624 (1)/11-2015, तद् दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा), उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- कमिश्नर वाणिज्य कर, उ0प्र0 लखनऊ।
3- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 इलाहाबाद।
4- संबंधित अधिकारी द्वारा कमिश्नर वाणिज्य कर, उ0प्र0 लखनऊ।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0 शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in